सूचना का
अधिकार

छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
(सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ)
मंत्रालय
दाऊ कल्याण सिंह भवन,
रायपुर

क्रमांक 3140/जी-7121/2011/1-सूअप्र

रायपुर दिनांक 18 नवंबर, 2011

प्रति,

समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव
छत्तीसगढ़ शासन,
समस्त विभागाध्यक्ष,
छत्तीसगढ़।

विषय:- सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत विभागीय जानकारी का इंटरनेट पर स्व-सक्रिय प्रकटीकरण ।

संदर्भ :- इस विभाग का पत्र क्रमांक एफ 7-6/2005/1/6, दिनांक 16.09.2005 एवं दिनांक 07.11.2005

इस विभाग के उपरोक्त संदर्भित परिपत्र द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के अंतर्गत प्रत्येक कार्यालय के विभागीय मैनुअल पीडीएफ फारमेट में तैयार करके शासन की वेबसाइड पर राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (NIC) के माध्यम से उपलब्ध कराने के संबंध में निर्देश दिये गये है, ताकि शासन के समस्त कार्यालयों द्वारा जारी नियम/निर्देशों की जानकारी/सूचना सीधे आम जनता/पणधारियों (Stakeholders) को स्व-सक्रिय प्रकटीकरण (Proactive Disclosure) के रूप में प्राप्त हो सके।

2/ अतः पुनः निर्देशित किया जाता है कि संदर्भित परिपत्रों में दिए गए निर्देशानुसार अधिनियम के तहत जानकारी का इंटरनेट स्व-सक्रिय प्रकटीकरण हेतु प्रत्येक विभाग, अपने अधीनस्थ समस्त कार्यालयों तथा उनके अंतर्गत निगम, मंडल, अधिकरणों एवं एन.जी.ओ. की जानकारी एवं मैनुअल इत्यादि राष्ट्रीय विज्ञान केन्द्र (NIC) को तत्काल उपलब्ध कराएं तथा उसकी सूचना सामान्य प्रशासन विभाग (सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ) को भेजना सुनिश्चित करें।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

सही
(सैयद कौसर अली)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

पृ0 क्रमांक 3141/जी-1721/2011/1-सूअप्र

रायपुर, दिनांक 18 नवंबर, 2011

प्रतिलिपि:-

1. सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग, निर्मल छाया भवन, मीरा दातार रोड शंकर नगर, रायपुर ।

2. आयुक्त/संचालक, जनसंपर्क संचालनालय, महिला थाना के पास, रायपुर ।
3. समस्त संभागायुक्त ।
4. समस्त कलेक्टर।
5. प्रशिक्षण संचालक, छ.ग.शासन, प्रशासन अकादमी, इन्द्रावती खण्ड, मंत्रालयं, परिसर, रायपुर ।
6. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (NIC) मंत्रालय, रायपुर
7. स्टॉक नस्ती।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सही
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग